

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 51/2018

प्रार्थी :- सरकार जरिये तहसीलदार रोहट
बनाम भंवराराम पुत्र अमराराम बावरी, निवासी
रामपुरा तहसील रोहट जिला पालो (राज.)
अप्रार्थी:-

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

--: आदेश :-

दिनांक : 26.02.2019

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरुद्ध अप्रार्थी के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/32 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. के नियम विरुद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/32 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी भंवराराम के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 21.06.1973 को आदेश पारित कर किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी में से ख.न. 285/32 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 21.06.1973 के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 08.04.1975 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 21.01.1985 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरन्स फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/32 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

थी, जिसका आवंटन अप्रार्थी भंवराराम पुत्र अमराराम बावरी निवासी रामपुरा को आवंटन कमेटी द्वारा आदेश दिनांक 21.06.1973 पारित कर किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी में से ख.न. 285/32 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. कर किया गया है। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 08.04.1975 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा भंवराराम पुत्र अमराराम बावरी को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 21.01.1985 के द्वारा अप्रार्थी भंवराराम को खातेदार दर्ज किया गया। जो आज भी खातेदार दर्ज है। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरुद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी के आवंटन ओदश दिनांक 21.06.1973 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 08.04.1975 एवं इसका पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 21.01.1985 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी भंवराराम पुत्र अमराराम बावरी निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.06.1973 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 08.04.1975 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 21.01.1985 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर बाराणी अब्बल से पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।



(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
पाली (राज.)